

राज्य सरकार की ओर से धनावंटन  
संख्या- 270/1 10-2015-33(34)/2015

प्रेषक,

लीना जौहरी,  
सचिव एवं राहत आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश शासन।

रोधा में,

जिलाधिकारी,  
✓सोनभद्र, ✓पीलीभीत, ✓लखीमपुर खीरी, ✓फैजाबाद, ✓बलिया, ✓गौतमबुद्धनगर, ✓अलीगढ़, कासगंज,  
✓कौशाम्बी, ✓बहराइच, ✓बाराबंकी, ✓सुलतानपुर, बागपत, ✓उमरोहा, ✓गाजीपुर, ✓लखनऊ, ✓गाजियाबाद,  
✓रायबरेली एवं ✓दोई।

राजस्व अनुमान-10

लखनऊ: दिनांक ०१ मई, 2015

विषय: फरवरी, मार्च एवं अप्रैल, 2015 में प्रदेश में चक्रवाती तूफान के फलस्वरूप ओलावृष्टि/अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलों को हुई क्षति के सापेक्ष कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने के लिये राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या-177/1-11 2015 1(जी)/2015, दिनांक 18.03.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का त्रैटेश हुआ है कि फरवरी, मार्च एवं अप्रैल, 2015 में प्रदेश में चक्रवाती तूफान के कारण फसलों को हुई क्षति/असामयिक मृत्यु के सापेक्ष कृषि निवेश अनुदान एवं गृतकों के आश्रितों को वितरित किये जाने के लिये वित्तीय वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रु 20,00,00,000/- (रुपये बीस करोड़ मात्र) आपके विवरण पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रम संख्या	जनपद का नाम	धनराशि (लाख रु 0 में)
1	सोनभद्र	100
2	पीलीभीत	100
3	लखीमपुर खीरी	100
4	फैजाबाद	100
5	बलिया	100
6	गौतमबुद्धनगर	100
7	अलीगढ़	100
8	कासगंज	100
9	कौशाम्बी	100
10	बहराइच	100
11	बाराबंकी	200

12	सुलतनपुर	100
13	बांधपत	100
14	अनंतरोहा	100
15	गोजीपुर	100
16	लंचनडू	100
17	गोजियावाड	100
18	रामबरेली	100
19	हंदोड़े	100
	योग	2000
	(रूपये बीस करोड़ मात्र)	

(1) स्वीकृत १ घनराशि का व्यय/उपभोग उसी प्रयोजन एवं मट में किया जायेगा, जिसके लिये धनराशि स्वीकृत नि जा रही है। इससे इतर अन्य किसी भी प्रयोजन में व्यय नहीं किया जायेगा।

(2) ऐसा व्यय जिसके लिये बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी को पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो इसके लिये पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त व्यय किया जायेगा।

(3) चूंकि यह राज्य सरकार की एक नयी योजना है जिसके लिये वित्त विभाग के पत्र संख्या-आरई-001/ई-५-६०४/दस 2015, दिनांक 09 अप्रैल, 2015 में प्राप्त उनकी राहमति से पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त की गयी है। यह धनराशि राज्य आपदा भोक्तक निधि की नहीं है। अतः इस धनराशि के व्यय का जिला स्तर पर अलग से समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

(4) इस स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण अलग से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

(5) उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार की गाइड लाइन में निर्धारित एवं उह मानक मर्दों के अनुसार ही किया जायेगा। यदि एक व्यक्ति को कई मर्दों में राहत अनुग्रह्य है, तो सबको मिलाकर एक ही चेक के माध्यम से राहायता प्रदान की जाय। शासनादेश संख्या-4464/1-10-2008-14(15)/2003, दिनांक 24.09.2008 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये दैवी आपदा की सभी मर्दों में दिये जाने वाले ₹0 2000/- तक की धनराशि का वितरण विवरर चेक के माध्यम से तथा ₹0 2000/- से अधिक की धनराशि का वितरण एकाउण्टपेची देने के माध्यम से ही किया जाय।

(6) इस धनराशि का व्यय राक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

7. राहत की धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपत्र एवं ग्राम प्रधान के स्वताक्षर प्राप्त कर इसे अभिलेख में रखा जाये। वितरित

सहायता की रवीं ग्राम सभा के लोटिस बोड पर प्रदर्शित की जाए और ग्राम सभा की अगली  
खुली बैठक में इस पढ़कर रुकाया भी जाए।

धनराशि का इत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय। धनराशि का आवृत्ति घटनाकारी एकमुख्य किसी कलिप, पकरणों में यह भी देखते हो आया है कि आवृत्ति घटनाकारी एकमुख्य किसी सरकारी विभाग या राजनीय प्राधिकारी को उल्लंघन करकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। तिथि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। 3: 1. आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धनराशि उपलब्ध करान् तथा इसका सदृपयोग सुनिश्चित करना देख का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निर्धि से प्रदत्त धनराशि का इत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

अतिरिक्त सहायता 4 - अन्य दस्य के नामे डाला जायेगा।

६. द्युमिति की जरूरी धनराशि महालेखाकार कार्योलय में सही गाँठों में पुस्तांकत कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्योलय से आंकड़े समाधानित एवं सहयोगित कराकर शासनों को सूचित किया जाय।

सचिव एवं राहत आयुक्त ।

संख्या: २७०(१) / १-१०-२०१५, तदटिवार्क

परिविपि विम्नलेखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाक र प्रथम/आडिट प्रथम, ३०५० इलाहाबाद ।

2. साम्बन्धित माण्डलायुक्ता।

3. आयुक्त ए। राजीव, राजस्व परिषद, ३०५० लखनऊ।

4. तिजी राजीव, प्रभुख भाचिव राजस्व दस्या राजीव एवं राहा आयुक्त, ३०५० रासत।